

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक - ता० से तक

जिला -बोकारो, सं० - ...10.../23-24.

केस का प्रकार - भौतिक पंजी 2 के आलोक में ऑन लाईन पंजी 2 में जमाबंदी दर्ज करने संबंधी अभिलेख।

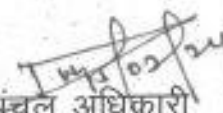
आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित								
1.	2.	3.								
01.02.24	आवेदक कुर्बान अंसारी पिता जब्बार अंसारी साकिन- बारू, थाना- जरीडीह, जिला- बोकारो ने निम्नलिखित भूमि का ऑनलाईन पंजी 2 में जमाबंदी दर्ज करने हेतु आवेदन समर्पित किया है। भूमि का विवरण <table><tr><th>मौजा/थाना नं०</th><th>खाता</th><th>प्लॉट</th><th>रकबा</th></tr><tr><td>बारू/79</td><td>32</td><td>1221</td><td>0.10 ए०</td></tr></table> प्राप्त आवेदन के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करते हुए आम ईस्तहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 15.02.24 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी जरीडीह	मौजा/थाना नं०	खाता	प्लॉट	रकबा	बारू/79	32	1221	0.10 ए०	
मौजा/थाना नं०	खाता	प्लॉट	रकबा							
बारू/79	32	1221	0.10 ए०							
15.02.24	अभिलेख उपस्थापित। आम ईस्तहार का तामला प्रतिवेदन प्राप्त। किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि मौजा- बारू, थाना सं० - 79 के खाता- 32, प्लॉट- 1221, रकबा 0.10 ए० भूमि खतियान के अनुसार मुकुन्द राम ओझा वगै कौम ब्राहमण के नाम से रेयती खाते के अन्तर्गत दर्ज है, जिसका किस्म जमीन टांड दो दर्ज है। आवेदक कुर्बान अंसारी पिता जब्बार अंसारी ने संबंधित भूमि को निबंधित केवाला संख्या 4565 दिनांक 06.08.14 द्वारा सुभाष चन्द्र झा पिता स्व० संपूर्ण नारायण झा व अन्य से मोबलिक 100000/- रुपये में क्रय किया है। जिसका नामान्तरण अंचल कार्यालय जरीडीह द्वारा नामान्तरण वाद संख्या 491/15-16 स्वीकृत होकर लगान रसीद क्रेता कुर्बान अंसारी पिता जब्बार अंसारी के									

नाम निर्गत हो रहा है, जो भौतिक पंजी 2 के भाग 7 पृष्ठ 70 में दर्ज है। परन्तु, भौतिक पंजी 2 के आलोक में ऑन लाईन पंजी 2 में जमाबंदी दर्ज नहीं होने के कारण लगान रसीद निर्गत नहीं हो रहा है, जिससे राजस्व की हानि हो रही है। ऑनलाईन पंजी II के जाँच के क्रम में भाग/पृष्ठ सं०- 7/70 रिक्त है। जिसमें जमाबंदी की प्रविष्टि राजस्व हित में की जा सकती है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन, आवेदिका द्वारा समर्पित कागजातों एवं राजस्व हित में ऑनलाईन पंजी 2 में क्रेता कुर्बान अंसारी पिता जब्बार अंसारी का नाम प्रविष्टि करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं सत्यापित।


अंचल अधिकारी,
जरीडीह।


अंचल अधिकारी
जरीडीह।